

सोवामें.

श्रीमान सपखण्ड अधिकारी महोदय

शिल्लीडगढ(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 13B

अनवान श्री डालचन्द पिता/पति श्री किशना कुमावत  
चनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वररी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री डालचन्द पिता/पति किशना कुमावत निवासी आंवलहेडा का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का आंवलहेडा के राजस्व ग्राम आंवलहेडा में खाता संख्या 251 किता - 1 रकबा 0-02 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम डालचन्द पुत्र किशना दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम डालचन्द पुत्र किशना के वजाय डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 12/10/2025

[Signature]

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आंवलहेडा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डालचन्द पिता/पति किशना कुमावत निवासी आंवलहेडा

राजस्व ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा की जमाबन्दी रकमा सं- 251 में

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

[Signature]

हस्ताक्षर पटवारी

आंवलहेडा  
पटवारी  
पटवार हल्का आंवलहेडा  
तह. वररी (शिल्लीडगढ)

[Signature]  
हस्ताक्षर श्री अ. नि.

**कार्यालय ताहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

क्रमांक.-भू.अ./2025/

दिनांक.-17/10/2025

विषय:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डॉ.पू. पिता/पत्नी किशोरा सुमन निवासी शंकर देड़ा पटवार हल्का शंकर देड़ा के राजस्व ग्राम शंकर देड़ा में जगाबन्दी साल 2076-81 की खाता संख्या 251 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट फायर व भू.अ.नि. में सम्मानजनक जाति/नाम डॉ.पू.पू. निवासी किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम डॉ.पू.पू. का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। पुत्र किशोरा सुमन

जाति संशोधन की स्थिति में राज. कारतकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

ताहसीलदार बरसी

जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

क्रमांक:-रीडर/2025/ 593

दिनांक:- 11/10/2025

विषय:-

पटवार हल्का शंकर देड़ा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री डॉ.पू. पिता/पत्नी किशोरा सुमन राजस्व ग्राम शंकर देड़ा पटवार हल्का शंकर देड़ा की खाता संख्या 251 में जाति/नाम डॉ.पू.पू. निवासी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। ताहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डॉ.पू. पिता/पत्नी किशोरा सुमन की जाति/नाम डॉ.पू.पू. निवासी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का शंकर देड़ा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- ताहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़